<u>विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी अभिशासन में नवाचार पर सम्मेलन</u>

अगस्त 26-27, 2013

सत्र IV: सेवा प्रदेयता

सेवा प्रदेयता पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति प्रतिवेदन (2011): भारत के शहरों और कस्बों में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी दिखाई पड़ती है, यहां तक कि मौजूदा जनसंख्या के प्रति भी। इस बात का संज्ञान लेते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है, मानकों में वृद्धि हो रही है, तथा वर्तमान शहरी परिवारों की आवश्यकता की तुलना में सेवाओं का स्तर अत्यंत निम्न है। शहरों और कस्बों में आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जिसकी आवश्यकता होगी, उसकी तुलना में भी वे काफी कम है।

वर्ष 2009-10 के मूल्यों के आधार पर 20-वर्षों से अधिक की अवधि के लिए शहरी अधोसंरचना हेतु निवेश को रु.39.2 करोड़ लाख आंका गया है। इसमें से, रु.17.3 लाख करोड़ (अथवा 44 प्रतिशत) को शहरी सड़कों के लिए निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र हेतु बैकलॉग बहुत बड़ा है, जो 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक पूरे भारत के शहरों में है। शहरी सेवा प्रदान कर रहे क्षेत्र जैसे कि जलआपूर्ति, सिवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और स्टॉर्म-जल नालियों, आदि को रु.8 लाख करोड़ (अथवा 20 प्रतिशत) की आवश्यकता होगी। समिति ने रु.4 लाख करोड़ का विशिष्ट प्रावधान नवीकृत और पुनर्विकास में निवेश के सापेक्ष किया है जिसमें झुग्गी बस्तियां भी शामिल हैं।

कुशल सेवा प्रदेयता में चुनौतियां: भौतिक अधोसंरचना (पाईप्स, वाहन, एकत्रण दान, फ्लाइओवर्स) प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत पूर्वाग्रह है, बजाए इसके कि शहरी क्षेत्रों में विश्वसनीय, वहनीय, और वित्तीय तथा पर्यावरण पोषणीय सेवाएं प्रदान की जाएं। वित्तीय कमजोरियों के चलते बुनयादी सेवाएं भी बाधित होती हैं, जो उपयोगकर्ताओं से परिचालन एवं प्रबंधन (न्यूनतम रूप में) लागतों को वसूल कर सकने में अक्षमता तथा सेवा प्रावधानों की अपर्याप्तता के चलते है।

शहरी जल आपूर्ति, स्वच्छता, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सार्वजनिक सुविधाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों के भीतर परिचालित विभागों के स्तर पर वृहद सुधारों की आवश्यकता है। सेवा प्रदान अभिकरणों/विभागों को अधिक स्वायत्तशासी, जवाबदेह और सेवा अभिमुख उपक्रम बनने की आवश्यकता है ताकि वे स्पष्ट राजस्व स्रोतों/शुल्क व्यवस्था के साथ व्यावसायिक क्रम में स्वतंत्र तौर पर जिम्मेदार हो सके और सार्वजनिक-निजी-सहभागिता को अक्सर शामिल कर सकें। वर्तमान में कोई भी शहरी क्षेत्र विनियामक नहीं हैं, और शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं (अर्थात परिवहन, जल एवं स्वच्छता, झुग्गी विकास) के निवेश निर्णय तथा कार्यान्वयन को अक्सर राज्य

स्तर के अभिकरणों द्वारा लिया जाता है, जबकि इसके परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी को शहरी स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाता है। निवेश हेतु जिम्मेदारियों तथा परिचालन एवं प्रबंधन के बीच इस विरोधाभास ने ज्यादातर अधोसंरचनात्मक निवेशों की कुशलता और पोषणीयता, दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसलिए शहरी क्षेत्र में सुधार ऐजेन्डा अर्ध-सरकारी निकायों की भूमिका की आवश्यकता को संबोधित करेगा, जैसे कि जल बोर्ड, पीएचईडी इत्यादि।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शहरों के निवासियों को बुनयादी शहरी सेवाएं (जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट एकत्रण, स्टॉर्म जल नालियां, सड़के और स्ट्रीट लाइट) किस प्रकार प्रदान किए जाएं, कि ये सेवाएं:
विश्वसनीय, आर्थिक तौर पर टिकाऊ, पर्यावरणीय तौर पर पोषणीय और वहन योग्य हों?

सत्र का आयोजन

अध्यक्षताः श्री सैम पित्रोदा, प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार

1. श्री विक्रम कपूर, प्रमुख सचिव/आयुक्त, चेन्नई
   - शहरी सेवाओं की प्रदेयता में प्रमुख चुनौतियां और चेन्नई के अनुभव
2. डॉ. रामचंद्रन
   - शहरी अधोसंरचना निवेश और शहरी सुधारों के परिप्रेक्ष्य में जेएनएनयूआरएम की शुरूआत करते समय क्या परिकल्पित किया गया था? जेएनएनआरयूएम की तीन विफलताएं और तीन सफलताएं क्या हैं? इसे इसके दूसरे चक्र में बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
3. श्री अनौज मेहता, विश्व बैंक के सलाहकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक, पीपीपी के पूर्व प्रमुख
   - सार्वजनिक-निजी-भागीदारीः भारत में क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया और आगे की कार्ययोजना?

प्रत्येक सत्र 1.5 घंटे का होगा - प्रत्येक प्रस्तुतिकरण लगभग 10 मिनट की होगी। शेष एक घंटे की अवधि प्रतिभागियों के साथ आपसी परिचर्चा के लिए और मंच के निर्धारण तथा अध्यक्ष द्वारा सार-संक्षेपण (10 मिनट) के लिए होगी।